



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 ई०
(श्रावण 5, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 6975/दस लाइसेंस-63/बाण्ड लाइसेंस फीस/2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 27 जुलाई, 2021 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-52

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 31 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 31 के माध्यम से धारा 24-क के अधीन विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल०ए०बी० की थोक बिक्री के बाण्ड लाइसेंसों के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार का अन्तरण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ धारा 30 के अधीन वर्ष 2021-2022 या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस शुल्क एतद्वारा नियत करते हैं-

बाण्ड लाइसेंस-

क्रम संख्या	लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंस का विवरण	लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि
1	2	3	4	5
1	बी०डब्ल्यू०एफ०एल० 2ए	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लाइसेंस	11.00	लाख रुपये में लाख रुपये में

1	2	3	4	5
			लाख रुपये में	लाख रुपये में
2	बी०डब्ल्यू०एफ०एल० 2बी	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लाइसेंस	8.25	4.40
3	बी०डब्ल्यू०एफ०एल० 2सी	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लाइसेंस	0.85	0.55
4	बी०डब्ल्यू०एफ०एल० 2डी	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल०ए०बी० की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लाइसेंस	0.55	0.275

सेंथिल पांडियन सी०,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 6975/X-License-63/ Bond License Fee/2021-2022

Prayagraj, Dated: July 27, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U. P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby fixes license fee for year 2021-2022 or part thereof under section 30 for the purpose of granting transfer of exclusive privilege for Bond licenses for wholesale vending of foreign liquor/beer/wine/LAB under section 24-A through section 31.

Bond Licenses—

Sl. No.	Type of license	Description of license	License fee	Security amount
1	2	3	4	5
			(in Lac Rs.)	(in Lac Rs.)
1	BWFL-2A	License for sale of foreign liquor in Uttar Pradesh produced by other States units.	11.00	5.50
2	BWFL-2B	License for sale of beer in Uttar Pradesh produced by other States units.	8.25	4.40
3	BWFL-2C	License for sale of wine in Uttar Pradesh produced by other States units.	0.85	0.55
4	BWFL-2D	License for sale of LAB in Uttar Pradesh produced by other States units.	0.55	0.275

SENTHIL PANDIAN C.,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.